



1291

दूरभाष 2286709

2286710

नव केतना केंद्र, 10 अशाक मार्ग, लखनऊ, 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक 3175/035/76/एक/2013-14

दिनांक 12 जनवरी 2016

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-मुरादाबाद।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा डूडा को अवमुक्त की गई धनराशि की सूचना।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को रिक्शा योजना के अन्तर्गत पात्र रिक्शा चालकों के पंजीकरण/ ड्राइवरिंग लाइसेन्स/ रोड परमिट, फिटनेस एवं बीमा हेतु धनराशि डूडा के बचत खाते में निम्नवत आन्तरित करा दी गयी है:-

(धनराशि ₹० में)

बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	518402010064624	IFSC Code UBIN0551848	18141600

क्र०सं०	विवरण	प्रति रिक्शा दर	रिक्शा की संख्या	प्रेषित धनराशि
01	रोड परमिट एवं रजिस्ट्रेशन फीस - 26400/- लाइसेन्स शुल्क (लर्निंग/स्थायी) - 280/- बीमा धनराशि (थर्ड पार्टी) - 3556/- योग 30236/-	30236/-	600	18141600.00

- 1- योजनान्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोग उक्तनुसार अंकित मदों में ही किया जाये अन्य मद में व्यय अनुमन्य नहीं होगा।
- 2- पात्र लाभार्थियों के बीमा हेतु प्रीमियम की धनराशि बीमा कम्पनी को उपलब्ध कराते हुये तथा उक्त अंकित मदों में धनराशि का उपयोग किये जाने के उपरान्त लाभार्थियों की सूची/व्यय की गयी धनराशि के मद सहित विवरण अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाये।
- 3- प्रेषित की जा रही धनराशि के उपयोग के उपरान्त यदि उक्त मदों में धनराशि की आवश्यकता है तो पृथक से प्रस्ताव प्रेषित किया जाय।
- 4- धनराशि का नियमानुसार उपयोग किये जाने के उपरान्त अभिकरण को निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि-

- 1- परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण जनपद-मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- श्री ए०के० उपाध्याय, सहा० परि० अधिकारी, सूडा।
- 3- कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।
- 4- श्री योगेश आदित्य, सहा० परि० अधिकारी, सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक